-2-23 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
मे वकील विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र मौका कमिश्नर
रिपोर्ट पर एवं प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A पर उभय
पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे वकील प्रार्थी/विपक्षी
मौका कमिश्नर रिपोर्ट मे कोई ठोस कारण अंकित नही
किया है। एवं मूल वाद मे उनकी कायमी मे विचाराधिन
है। ऐसी स्थिति मे मौका कमिश्नर रिपोर्ट से मंगवाना
हम उचित नही समझते है। अतः प्रा.पत्र मौका कमिश्नर
रिपोर्ट का खारिज किया जाता है। एवं प्रा.पत्र अ.धा.
212 R.T.A पर वकील प्रार्थी ने अपनी इस प्रकार से
पेश कर निवेदन किया है कि प्रा.पत्र वर्णित आराजियात
मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज अंकित है। जिस पर प्रतिवादी
गण जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से कब्जा
करना चाहते है। इस लिए विपक्षी गण को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वकील विपक्षी
ने अपनी जवाबी बहस इस प्रकार से निवेदन किया है
कि प्रतिवादी गण ने मौके पर अपना अपना कब्जे की
भूमि पर लगभग 30 वर्षो से भी अधिक समय पूर्व
पक्के मकान बने हुए है। जिन मे बिजली कनेक्शन भी
है। अतः प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।
प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया
एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया
गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 74 मे
प्रार्थी एक मात्र खातेदार है। जो विपक्षी गण को अनाधिकृत
रूप से कृषि आराजियात पर कब्जा करने से रोकने के
लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकता है। किंतु
वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे निवेदन किया है कि
विपक्षी गणो के लगभग 30 वर्षो से भी अधिक समय से
पक्के मकान बने हुए है ... मौके पर 30 वर्ष से भी अधिक
समय से पक्के ... निर्माण ... है। जो ऐसी स्थिति मे
न्यायालय ... अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया ... से मौके पर ... उभय ... वाद के
निस्तारण तक प्रार्थी एव विपक्षी गण को पाबन्द किया जाता
है कि मौजा चौसला प.ह. मोती पुरा के खाता सं. 31 की आ.सं.
142, 145, 146, 192, 193, 194, 195, 196, 197 कुल किता 9
कुल रकबा 4.0380 है. भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति
... शुमार होकर नम्बर से कब्जे हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested